कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून

पत्रांक :1657 /वाद सं0 एल–0054/एस– रानीपोखरी/2025 दिनांक 14/07/2025

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
देहरादून।

विपक्षी श्री मंजीत जौहर एवं श्री परविन्द्र कौर गली न0–08 वार्ड न0–1 भोगपुर रानीपोखरी ग्रांट रानीपोखरी देहरादून द्वारा बिना तलपवट मानचित्र स्वीकृति कराये लगभग 08 बीघा भूमि पर अवैध प्लाटिंग हेतु सी.सी. सडक एवं प्लाटों का चिन्हीकरण कार्य किये जाने के विरूद उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की सुसंगत धाराओं का उल्लंधन किये जाने के कारण प्रकरण में वाद संख्या एल–0054/एस–रानीपोखरी/2025 योजित किया गया। उक्त चालान शुदा अवैध निर्माण को दिनांक 6/8/25 को ध्वस्त किया जाना है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार नियत तिथि को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने हेतु थानाध्यक्ष रानीपोखरी को पर्याप्त पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
डोईवाला, देहरादून।

प्रतिलिपिः–

1– नायब तहसीलदार ऋषिकेश को इस आश्य से प्रेषित कि उक्त तिथि पर ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पन्न कराने हेतु उपस्थित रहे।

2– थानाध्यक्ष रानीपोखरी को इस आशय से प्रेषित कि प्राधिकरण स्टाफ के साथ समुचित पुलिस बल (महिला पुलिस बल सहित) उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

3– क्षेत्रीय सहायक अभियन्ताओं/अवर अभियन्ताओं एवं प्रोसेस सर्वर को इस निर्देश के साथ कि नियत तिथि व समय पर स्थल में उपस्थित होकर प्रश्नगत अवैध निर्माण में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही-कराना सुनिश्चित करें।

4– नाजिर को इस निर्देश के साथ कि नियत दिनांक को एक जेसीबी मशीन एव ध्वस्तीकरण की समाग्री संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– मंजीत जौहर एवं श्री परविन्द्र कौर गली न0–08 वार्ड न0–1 भोगपुर रानीपोखरी ग्रांट रानीपोखरी देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया जाना है। स्थल पर उपस्थित रहें अपना समान हटा लें। शर्त पूर्व पत्रांक 992 दिनांक 05.06.2025 के अनुसार मान्य होगी।

पीठासीन अधिकारी/उपजिलाधिकारी,
डोईवाला, देहरादून।

कार्यालय तहसीलदार ऋषिकेश उत्तराखण्ड जनपद देहरादून

थाना–रानीपोखरी जनपद देहरादून

15/7/25